नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 061
दि. 03.12.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

एडमिरल त्रिपाठी का बड़ा बयान: ऑपरेशन 'सिंदूर' ने पाकिस्तान को समंदर में रोका, भारत बना निर्णायक शक्ति

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने अपने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे रणनीतिक समुदाय का ध्यान खींच लिया। उन्होंने बताया कि भारत द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन 'सिंदूर' के दौरान की गई तेज, सटीक और रणनीतिक कार्रवाई ने पाकिस्तान को इतना दबाव में ला दिया कि उसकी नौसैनिक इकाइयाँ बंदरगाह से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर सकीं। एडमिरल त्रिपाठी के अनुसार, भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती और नौसेना की आक्रामक तत्परता ने हालात को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन न केवल सैन्य क्षमता का प्रदर्शन है, बल्कि पाकिस्तान की समुद्री अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ाने वाला निर्णायक अभियान बन गया है।

उन्होंने बताया कि कई अंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजों ने सुरक्षा जोखिम और हमलों की आशंका के कारण पाकिस्तानी बंदरगाहों की ओर जाना कम कर दिया, जिससे उनके बीमा शुल्क और लॉजिस्टिक लागत में भारी बढ़ोतरी हुई। यह दबाव पाकिस्तान के लिए गंभीर आर्थिक चुनौती बन गया है।

भारतीय नौसेना अगले दशक की तैयारी में—राफेल मरीन विमानों की होगी एंट्री

एडमिरल त्रिपाठी ने घोषणा की कि 2029 तक फ्रांस से भारतीय नौसेना को राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि नौसेना ने पिछले एक वर्ष में एक नई पनडुब्बी और 12 अत्याधुनिक युद्धपोत अपने बेड़े में शामिल किए हैं। इनमें आईएनएस उदयगिरि सौवें स्वदेशी डिजाइन वाले युद्धपोत के रूप में भारतीय नौसैनिक इंजीनियरिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ है।

उन्होंने दोहराया कि भारत आने वाले दशक में समुद्री शक्ति, तकनीकी श्रेष्ठता और तेज़ प्रतिक्रिया क्षमता को

लेकर पूरी तरह तैयार है।

समुद्री डकैती, पायरेसी और रेड सी संकट—भारत की निर्णायक भूमिका

नौसेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय नौसेना ने बीते वर्ष 11,000 से अधिक 'शिप डे' और 50,000 फ्लाइंग घंटे पूरे किए—जो किसी भी सक्रिय नौसैनिक बल के लिए असाधारण आंकड़ा है। अदन की खाड़ी में 2008 से लगातार तैनाती के तहत भारतीय युद्धपोतों ने अब तक 138 जहाजों के साथ मिलकर 3,700 से अधिक मर्चेंट जहाजों को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया है।

रेड सी क्षेत्र में समुद्री डकैती बढ़ने के बाद भारत ने अपने 40 प्रमुख युद्धपोत और आवश्यक एयर असेट्स तैनात कर दिए। अब तक 62 समुद्री लुटेरों को पकड़कर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

152 लाख मीट्रिक टन कार्गो की सुरक्षा, 520 से अधिक लोगों की जान बचाई

पिछले एक वर्ष में भारतीय नौसेना ने 376 मर्चेंट वेसल्स और उनके 152 लाख मीट्रिक टन कार्गो को सुरक्षित मार्ग दिलाया, जिसकी वैश्विक कीमत लगभग 6.5 अरब डॉलर रही।

इस दौरान समुद्री संकट स्थितियों में 30 से अधिक बार कार्रवाई कर 520 से अधिक लोगों की जान बचाई गई।

नौसेना द्वारा चलाए गए एंटी-नारकोटिक अभियानों में 43,300 करोड़ रुपये मूल्य के अवैध सामान को जब्त किया गया—जो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।

राहत और बचाव कार्य—हिंद महासागर में 'फर्स्ट रेस्पॉन्डर' की पहचान मजबूत

मार्च में गोवा तट के पास एमवी हीलन स्टार से तीन गंभीर रूप से बीमार यात्रियों को नौसेना हेलीकॉप्टरों ने सुरक्षित पहुंचाया।

इसके अलावा म्यांमार में आए भीषण भूकंप के बाद 48 घंटे के भीतर 'ऑपरेशन ब्रह्मा' के तहत 500 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी गई।

समुद्री बचाव अभियानों में भारतीय नौसेना ने—

- 25 मई को डूब रहे तेल टैंकर 'एमएससी' से तीन क्रू को बचाया
- 9 जून को सिंगापुर के जहाज 'एमवी वान हाई 503' से 18 क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकाला

इन अभियानों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है।

श्रीलंका में जारी ऑपरेशन 'सागर बंधु'—विक्रांत और उदयगिरि सबसे आगे

श्रीलंका में चक्रवात 'दित्वा' से उत्पन्न संकट के बाद भारतीय नौसेना सबसे पहले राहत पहुंचाने वाली शक्ति बनी।

एडमिरल त्रिपाठी ने बताया कि—

- आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि ने तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई
- विक्रांत के हेलीकॉप्टरों ने आठ लोगों की जान बचाई
- आईएनएस सुकन्या ने त्रिंकोमाली में 10–12 टन आवश्यक सामग्री पहुंचाई

उनके अनुसार, हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की मजबूत मौजूदगी न केवल भारत बल्कि पड़ोसी देशों की सुरक्षा और मानवीय सहायता में निर्णायक भूमिका निभा रही है।

नौसेना प्रमुख की बात का सार यही है—आज भारतीय नौसेना सिर्फ देश की नहीं, पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा का भरोसेमंद आधार बन चुकी है, और ऑपरेशन 'सिंदूर' उसका सबसे ताज़ा और प्रभावशाली उदाहरण है।

सैन्य क्षेत्र में भारत ने स्थापित किया आत्मनिर्भरता का नया कीर्तिमान, डीआरडीओ ने किया हाई-स्पीड फाइटर जेट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत ने सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वदेशी लड़ाकू विमानों के पायलट सुरक्षा सिस्टम में नई उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लड़ाकू विमान के एस्केप सिस्टम का उच्च-गति रॉकेट-स्लेज परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया, जो पायलट इजेक्शन और सुरक्षित निकासी की तकनीक में देश को वैश्विक स्तर पर विशिष्ट बनाता है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इस परीक्षण की जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह परीक्षण चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में 800 किमी/घंटे की नियंत्रित गति पर किया गया।

इस सफल परीक्षण ने भारत को उन कुछ देशों में शामिल कर दिया है, जिनके पास लड़ाकू विमानों के पायलट सुरक्षा और इजेक्शन सिस्टम का उन्नत और पूर्ण परीक्षण करने की क्षमता है। इस जटिल परीक्षण में कैनोपी सेवरेंस, इजेक्शन सीक्वेंसिंग और संपूर्ण एयरक्रू रिकवरी प्रक्रिया का मूल्यांकन किया

गया। परीक्षण के दौरान एलसीए (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) विमान के अग्रभाग को दोहरी स्लेज प्रणाली के साथ संयोजित किया गया, जिसे कई ठोस रॉकेट मोटर्स के चरणबद्ध प्रज्वलन से नियंत्रित गति पर सटीक रूप से आगे बढ़ाया गया।

इस परीक्षण में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने भी सहयोग दिया। टेस्ट डमी के माध्यम से वास्तविक परिस्थितियों में पायलट द्वारा अनुभव किए जाने वाले भार, त्वरण और क्षण को मापा गया। ऑनबोर्ड और ग्राउंड-आधारित हाई-स्पीड इमेजिंग सिस्टम की मदद से पूरे परीक्षण अनुक्रम को रिकॉर्ड किया गया। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन एंड सर्टिफिकेशन के अधिकारियों ने इस परीक्षण का अवलोकन किया।

विशेषज्ञों के अनुसार, गतिशील इजेक्शन परीक्षण स्थैतिक परीक्षणों की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें इजेक्शन सीट और कैनोपी सेवरेंस सिस्टम का वास्तविक प्रदर्शन और प्रभावकारिता का परीक्षण किया जाता है। इस सफलता से भारत को स्वदेशी लड़ाकू विमानों के पायलट सुरक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी श्रेष्ठता हासिल करने में मदद मिलेगी।

रक्षा मंत्रालय ने इस उपलब्धि को देश की सुरक्षा और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में इस परीक्षण की पूरी प्रक्रिया और सफलता को दिखाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत ने अब उच्च-गति पायलट इजेक्शन और एस्केप सिस्टम में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है।

यह परीक्षण भारतीय वायु सेना के operational readiness और पायलट सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाएगा। आने वाले समय में इसे भारतीय लड़ाकू विमानों में लागू करने की तैयारी जारी है, जिससे देश की रक्षा क्षमता और आधुनिक तकनीकी आत्मनिर्भरता दोनों में वृद्धि होगी।

दिल्ली–काठमांडू एयर कॉरिडोर को बड़ा बूस्ट: दिल्ली एयरपोर्ट पर नेपाली यात्रियों के लिए विशेष सुविधा शुरू

(जीएनएस)। काठमांडू। दक्षिण एशिया के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों में शुमार काठमांडू–दिल्ली–विश्व के अन्य देशों की ओर जाने वाली अंतरराष्ट्रीय यात्रा अब नेपाली यात्रियों के लिए और आसान हो गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पहली बार विशेष सूचना सहायता डेस्क की स्थापना की गई है, जो केवल नेपाली नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में आगे दुनिया के अलग-अलग देशों में जाने वाले नेपालियों के लिए यह कदम एक बड़े राहत उपाय के रूप में देखा जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में नेपाली यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रांजिट के दौरान दस्तावेज़ों की जांच, फर्जी वीज़ा, संदिग्ध एजेंटों और भ्रमित करने वाली सूचनाओं के चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई मामलों में यात्रियों को हवाईअड्डे से वापस लौटना पड़ा, जिससे उनकी यात्रा और परिवार दोनों पर तनाव

बढ़ा। इसी पृष्ठभूमि में नेपाल के राजदूत शंकर शर्मा ने भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की पहल की जो यात्रियों को विश्वसनीय जानकारी, त्वरित सहायता और सुरक्षित मार्ग प्रदान कर सके।

नई सुविधा का उद्देश्य न केवल दस्तावेज़ जांच प्रक्रिया को सरल बनाना है, बल्कि यात्रियों को धोखाधड़ी से बचाना भी है। एयरपोर्ट पर सहायता डेस्क के कर्मचारियों को नेपाली भाषा और ट्रांजिट प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे यात्रियों को तत्काल मदद प्रदान कर सकें। दूतावास ने भी यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपने सभी वीज़ा, टिकट और आवश्यक दस्तावेज़ों की जांच अवश्य कर लें, ताकि इंटरनेशनल ट्रांसफर जोन में प्रवेश के समय किसी बाधा का सामना न करना पड़े।

यह कदम उस घटना के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गया, जिसमें दो अलग-अलग उड़ानों से चार नेपाली महिलाओं को दस्तावेज़ों की गड़बड़ी के चलते दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। इस घटना ने यूरोप, खाड़ी देशों और अमेरिका की ओर यात्रा करने वाले कई नेपाली नागरिकों में गहरी चिंता पैदा कर दी थी। घटना के बाद नेपाली दूतावास ने भारतीय अधिकारियों से बातचीत कर प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का आग्रह किया था, जिसके परिणामस्वरूप यह नई सुविधा लागू की गई।

सबसे बड़ी राहत यह है कि अब दिल्ली होकर आगे की उड़ान पकड़ने वाले नेपाली यात्रियों को भारतीय इमिग्रेशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। वे सीधे अंतरराष्ट्रीय ट्रांसफर एरिया में जा सकेंगे, जिससे समय भी बचेगा और अनावश्यक पूछताछ से भी छुटकारा मिलेगा।

यात्रा एजेंटों का कहना है कि नेपाल में डॉलर विनिमय दर और विभिन्न शुल्कों के कारण अधिकांश यात्री दिल्ली के जरिए यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफायती मानते हैं। यही कारण है कि काठमांडू–दिल्ली मार्ग नेपाल की अंतरराष्ट्रीय यात्रा का सबसे बड़ा कनेक्टिंग हब बन गया है। मौजूदा समय में दोनों शहरों के बीच रोजाना 20 से अधिक उड़ानें संचालित होती हैं और इन उड़ानों से आने वाले अधिकांश यात्री खाड़ी देशों, यूरोप, अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए आगे की यात्रा करते हैं।

सांस्कृतिक बदलाव: प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब 'सेवा तीर्थ', राजभवन और केंद्रीय सचिवालय भी जनता के नाम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत ने 1 दिसंबर 2025 से एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक बदलाव किया है, जिससे देश के शासकीय ढांचे में सांस्कृतिक संदेश को महत्व दिया गया है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम 'सेवा तीर्थ' रखा गया है। इसी तरह केंद्रीय सचिवालय के 'कर्तव्य भवन' और देशभर के राजभवन अब 'लोकभवन' और 'लोक निवास' कहलाएंगे। इस बदलाव के माध्यम से केंद्र सरकार यह संदेश दे रही है कि सत्ता केवल अधिकार और विलासिता का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता की सेवा का पवित्र मार्ग है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बदलाव को सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक बताया है। पीएमओ के अफसरों ने कहा कि यह केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि प्रशासनिक संस्थान अब जनता के प्रति जिम्मेदारी और सेवा के प्रतीक के रूप में देखे जाएंगे। सत्ता के ऐश्वर्य को पीछे छोड़ते हुए अब सेवा और कर्तव्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन का हवाला देते हुए बताया कि 'राज भवन' और 'राज निवास' जैसे नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हैं। इसलिए अब राज्यपालों और उप-राज्यपालों के कार्यालयों को 'लोक भवन' और 'लोक निवास' के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने का उद्देश्य केवल दिखावा नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश देना है कि सत्ता का मुख्य उद्देश्य जनता की भलाई और सेवा है।

मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में यह कदम लगातार जारी रहा है। पहले भी कई प्रमुख संस्थानों और स्थानों के नाम बदले गए हैं। सबसे चर्चित उदाहरण 'राजपथ' का नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' करना है। राजपथ शब्द में शक्ति और शाही प्रतीक की झलक थी, जबकि कर्तव्य पथ सीधे तौर पर यह संदेश देता है कि सत्ता का उपयोग जनसेवा और कर्तव्य निभाने के लिए होना चाहिए। इसी तरह, रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर 'लोक कल्याण मार्ग' किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सार्वजनिक स्थल केवल जनता की भलाई और सेवा का प्रतीक हैं।

इस बदलाव से यह भी संकेत मिलता है कि सत्ता और प्रशासन अब विलासिता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के केंद्र नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी के केंद्र बन गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में लोकभवन और लोक निवास के नाम से सरकारी कार्यालयों की पहचान जनता और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में होगी। यह बदलाव प्रशासनिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण से किया गया है, जो भविष्य में भारत में शासन और जनसेवा की नई परंपरा स्थापित करने वाला है।

पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पॉक्सो मामले में ट्रायल पर रोक

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे पॉक्सो मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिया। कोर्ट ने येदियुरप्पा की उस याचिका पर अंतरिम आदेश दिया, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल पर रोक रहेगी और राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है। पीठ ने कहा कि नोटिस मुख्य रूप से मामले को हाई कोर्ट को वापस भेजने पर विचार करने के लिए जारी किया जा रहा है। इस दौरान, हाई कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किए जाने का मामला सामने आया है।

येदियुरप्पा के वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने उन बयानों पर ध्यान नहीं दिया, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कथित घटना के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लूथरा ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण बयान अभियोजन पक्ष द्वारा दबाए गए, जबकि हाई कोर्ट ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि येदियुरप्पा चार बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके विरुद्ध मामले में तथ्यों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट की ओर से सुनवाई पर रोक लगाए जाने के बाद अब अगले कदम में यह देखा जाएगा कि हाई कोर्ट को मामला वापस भेजा जाता है या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाती है। यह फैसला न केवल येदियुरप्पा के लिए राहत की स्थिति है, बल्कि इससे पॉक्सो मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और सबूतों की समीक्षा पर भी अहम सवाल खड़े हो गए हैं।

भारत की आर्थिक विकास दर ने पूरे विश्व को चौंकाया

> जैसे ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी हुए कुछ मूर्धन्य पत्रकार तुरन्त अपने आंकलन के साथ मीडिया में उपस्थित हो गए एवं अपनी प्रतिक्रिया में यह बताने का प्रयास करने लगे कि भारत की आर्थिक विकास दर तो इतनी तेज गति से आगे बढ़ ही नहीं सकती।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 5.6 प्रतिशत रही थी। विशेष रूप से विनिर्माण एवं सेवा के क्षेत्र में वृद्धि दर अतुलनीय रही है। विनिर्माण के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही में 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर रही थी जो वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में बढ़कर 9.1 प्रतिशत की हो गई है। इसी प्रकार, सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत की रही है। वित्तीय, रियल एस्टेट एवं प्रोफेशनल सेवाओं में तो वृद्धि दर बढ़कर 10.2 प्रतिशत (पिछले वर्ष इसी अवधि में 7.2 प्रतिशत) एवं जन प्रशासन, डिफेन्स एवं अन्य सेवाओं में वृद्धि दर 9.7 प्रतिशत (पिछले वर्ष 8.9 प्रतिशत) की रही है। व्यापार, होटल, यातायात एवं कम्यूनिकेशन में भी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत (पिछले वर्ष 6.1 प्रतिशत)। केंद्र सरकार के उपक्रमों एवं डिफेन्स के क्षेत्र में भी 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कृषि क्षेत्र में जरूर वृद्धि पिछले वर्ष 4.1 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई है एवं कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र में भी वृद्धि दर पिछले वर्ष 8.4 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष घटकर 7.2 प्रतिशत रही है। जैसे ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी हुए कुछ मूर्धन्य पत्रकार तुरन्त अपने आंकलन के साथ मीडिया में उपस्थित हो गए एवं अपनी प्रतिक्रिया में यह बताने का प्रयास करने लगे कि भारत की आर्थिक विकास दर तो इतनी तेज गति से आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि, वैश्विक स्तर पर इतनी विपरीत परिस्थितियों के बीच एवं विकसित देशों में विकास की धीमी दर एवं कुछ देशों में तो विकास दर के ऋणात्मक रहने के चलते (OECD देशों की आर्थिक विकास दर 2 प्रतिशत के भी नीचे है), भारत की आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशत के ऊपर कैसे रह सकती है। साथ ही, विभिन्न वित्तीय संस्थानों यथा, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन के साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर को 7 प्रतिशत के आसपास रहने का अनुमान जताया था। फिर, भारत

की आर्थिक विकास इस अवधि में 8.2 प्रतिशत कैसे रह सकती है? हाल ही के समय में केंद्र सरकार ने भारत में आर्थिक क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वित्तीय क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं। इन सुधार कार्यक्रमों का असर अब भारत की आर्थिक विकास दर में तेजी के रूप में दिखाई देने लगा है। आयकर की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2025-26 में लागू किया जा चुका है। भारत में 95 प्रतिशत से अधिक उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों को (लगभग 10 प्रतिशत तक) कम कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों (रेपो दर) में एक प्रतिशत की कटौती की जा चुकी है एवं दिसम्बर 2025 माह में 25 आधार बिंदुओं की एक और कटौती की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारत की मातृशक्ति के बैंक खातों, किसानों के बैंक खातों एवं गरीब वर्ग के बैंक खातों में सीधे ही सहायता की राशि जमा की जा रही है। साथ ही, भारत के लगभग 65 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त उपायों का स्पष्ट असर यह हो रहा है कि भारत के दूर दराज इलाकों में निवासरत गरीब वर्ग के हाथों में सीधे पैसा पहुंच रहा है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है एवं वे इस पैसे से कई प्रकार के उत्पादों का सेवन करने लगे हैं और जिससे अंततः देश में इन उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। भारत में निजी उपभोग भी वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय तिमाही के 4.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में 8 प्रतिशत से बढ़ा है। साथ ही केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्चों में भी 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे रोजगार के नए अवसर निर्मित हुए हैं एवं उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज हुई है।

उक्त कारणों के साथ ही, भारत में धार्मिक पर्यटन में भी भारी वृद्धि हुई है। अब, कई श्रद्धालु परिवार भारत के अयोध्या में प्रभु श्रीराम के नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हेतु प्रति माह लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार, वाराणसी स्थित भगवान भोलेनाथ मंदिर, उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर, जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर, दक्षिण में भगवान तिरुपति बालाजी मंदिर, ओड़िसा के पुरी में स्थित मंदिर, उत्तराखंड स्थित गंगोत्री, यमुनोत्रि, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर आदि मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने हेतु पहुंच रहे हैं। हाल ही में प्रयागराज में सम्पन्न हुए कुम्भ के मेले में तो 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु देश विदेश से पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने हेतु पहुंचे थे। इसी प्रकार, भारत की एक और विशेषता है कि यहां विभिन्न त्यौहारों को बड़े ही उत्साह से भाई-चारे के साथ मनाया जाता है। दीपावली का पावन पर्व एवं दीपावली के आसपास के समय में कई त्यौहार श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हैं एवं इन त्यौहारों पर समाज में परिवारों द्वारा लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं।

इस वर्ष एक आकलन के अनुसार दीपावली के पावन पर्व एवं दीपावली के समय के आसपास के समय में मनाए गए विभिन्न त्यौहारों पर 6 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न उत्पादों की बिक्री भारत में हुई है। फिर, शादियों का मौसम भी प्रारम्भ होता है जिसमें करोड़ों की संख्या में विवाह समारोह सम्पन्न होते हैं, इन विवाह समारोहों में भी लाखों करोड़ रुपए का खर्च भारतीय समाज द्वारा किया जाता है। इन कारणों के चलते भी भारत में हाल ही के समय में उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि दर्ज हुई है। जिससे, अंततः इन उत्पादों का निर्माण भी भारत में होने लगा है तथा विनिर्माण के क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

दरअसल, विदेशी वित्तीय संस्थान भारत की संस्कृति से पूर्णत अनभिज्ञ हैं एवं पश्चिमी देशों की संस्कृति के अनुसार विकसित किए गए मॉडल से भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगा रहे हैं। इन मॉडल के अनुसार जहां, इन विभिन्न विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा 6 से 7 प्रतिशत के बीच की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया जाता है वहीं भारत की आर्थिक विकास दर अब 8 प्रतिशत की दर को भी पार करती हुई दिखाई दे रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इन वित्तीय संस्थानों के आंकलन में इतना भारी अंतर सोच का विषय है। अब भारत के आर्थिक विकास के सम्बंध में अनुमानों को आंकने के लिए भारतीय मॉडल ही विकसित करने की आवश्यकता है। वरना, इसी प्रकार की गलतियां इन विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाती रहेंगी एवं भारत में कुछ विघ्न संतोषी पत्रकार इसी प्रकार देश के आर्थिक विकास की दर पर अपनी शंका-कुशंकाओं को समाज के बीच में लाते रहेंगे और गलत विमर्श खड़ा करने का प्रयास करते रहेंगे।

हां, भारत में ऐसे कुछ क्षेत्र जरूर हैं जिनमे विकास दर को गति देने के प्रयास किए जाने चाहिए। जैसे, भारत में खदानों से उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही में 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, पिछले वर्ष भी इसी अवधि में 0.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई थी। जब देश में विनिर्माण के क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की जा रही है तो फिर खदानों से उत्पादन क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? इसका आश्य कहीं यह तो नहीं कि हम कच्चे माल की जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करने का प्रयास कर रहे हों। इस बीच भारत में आयात की मात्रा में भी भारी वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि दर कुछ धीमी रही है। उक्त अवधि (तिमाही) के दौरान, भारत में उत्पादों का आयात 18,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है, जबकि भारत से उत्पादों का निर्यात 10,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है। इस प्रकार, कुल व्यापार घाटा बढ़कर 8,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया है। इस प्रकार, भारत में कच्चे माल के उपयोग में आत्म निर्भरता हासिल करना आवश्यक हो गया है। जिन वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही आसानी से सम्भव है, उनका आयात बंद अथवा कम करना ही होगा। अन्यथा, की स्थिति में भारत को अपने व्यापार घाटे को संतुलित करना, अति मुश्किल कार्य हो जाने वाला है। सामाजिक स्तर पर भी इस समस्या का हल निकालना होगा। केवल देश में ही उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करना आज प्रत्येक परिवार का कर्तव्य बन जाना चाहिए। देश में बढ़ती मांग की आपूर्ति यदि देश में ही निर्मित वस्तुओं से होने लगेगी तो विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में अपने उत्पाद बेचकर कमाए जाने वाले लाभ को वे अपने देश में नहीं ले जा सकेंगे और इससे अंततः भारत के व्यापार घाटे को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

संपादकीय

बूथ-स्तरीय अधिकारियों पर तनाव का असर

निस्संदेह, किसी लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष होनी चाहिए। साथ ही मतदाताओं की विश्वसनीयता भी उतनी जरूरी है ताकि वाजिब वोट ही चुनाव प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाए। इसी आलोक में नौ राज्यों व तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवाल तार्किक समाधान मांगते हैं। इस प्रक्रिया में तुरत-फुरत की कार्यनीति के चलते कई राज्यों में अफरा-तफरी का आलम नजर आता है। जिसका दबाव जमीनी स्तर पर इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों पर पड़ रहा है। कई बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ बेहद तनाव में नजर आ रहे हैं। इनका कार्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है। पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में कम समय में अधिक काम के दबाव के चलते कुछ बीएलओ के मरने व आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा भी उन्हें परेशान किए जाने का आरोप है। हालांकि, इस अव्यवस्था के चलते ही चुनाव आयोग ने अब एसआईआर के कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन कहना कठिन है कि इस कदम से बीएलओ का तनाव कम करने या विभिन्न हितधारकों की आशंकाओं को दूर करने में कोई खास मदद मिल सकेगी। कहा जा रहा है कि एक माह पहले शुरू हुई राष्ट्रव्यापी एसआईआर प्रक्रिया में कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। इस प्रक्रिया में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं, जो तकरीबन भारतीय आबादी का एक-तिहाई से भी ज्यादा। उनकी शिनाख्त से जुड़ी जानकारी को एक निश्चित समय सीमा में प्रमाणित कर पाना आसान नहीं है। कहा जा रहा है कि निर्धारित समय-सीमा व्यावहारिक नहीं है। तीन महीने की अवधि में गणना प्रपत्रों का वितरण, उसके बाद मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन और फिर अंतिम मतदाता सूची जारी करना आसान काम नहीं है। बहुत तेजी से काम को अंजाम देने का जिम्मा अधिकारियों पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है। निस्संदेह, स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का शुद्धीकरण एक अनिवार्य शर्त है। लेकिन महत्वपूर्ण काम को जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। मतदाता को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय मिले ताकि उनके नाम सूचियों में सही ढंग से दर्ज हो सकें। यही बात बीएलओ के लिए भी लागू होती है, ताकि वे अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराव वाले मतदाताओं का डेटा संकलित करने के लिए बूथ-स्तरीय एजेंटों के साथ मिलकर सुचारु रूप से काम कर सकें। यदि एसआईआर की प्रक्रिया किसी विवाद में उलझी रहती है तो इस अभियान का उद्देश्य ही विफल हो सकता है। बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के घटनाक्रमों से मिले सबक को अन्य राज्यों में इस प्रक्रिया के दौरान याद रखा जाना चाहिए। निस्संदेह, स्तरहीन व संदिग्ध एसआईआर हमारे चुनावी लोकतंत्र की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचा सकता है। उल्लेखनीय है कि विशेष गहन पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों तथा अंडमान-निकोबार, लक्ष्यद्वीप व पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों में जारी है। उल्लेखनीय है कि जहां बीएलओ पर कार्यदबाव व समय सीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं कई राज्यों में बीएलओ के खिलाफ मामले दर्ज करने के भी आरोप लगे हैं। इन अधिकारियों का आरोप है कि अतिरिक्त कार्य-दबाव का उनके शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। वहीं चुनाव आयोग का आरोप है कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। वैसे यदि वास्तव में बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव है तो चुनाव आयोग को इस मुद्दे का समाधान संवेदनशील ढंग से करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मतदाता पहचान से जुड़े प्रमाणपत्रों को जुटाने में आ रही परेशानियों के चलते लोग भी बीएलओ पर दबाव बनाते हैं। कई राज्यों में बीएलओ संगठनों ने प्रदर्शन करके अधिक समय दिए जाने की मांग भी की है। कुछ लोग चुनाव आयोग की जल्दबाजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि दो-तीन महीने का काम एक माह में पूरा नहीं किया जा सकता। वे समय पर दायित्व न निभा पाने वाले बीएलओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को अनुचित बताते हैं।

प्रेरणा

विश्वास के नीले आकाश में उड़ते दो पंख

कभी-कभी जीवन में एक क्षण आता है, जो इतना शांत, इतना सरल होता है कि देखने वालों को साधारण प्रतीत होता है, पर भीतर वह इतनी गहरी क्रांति ले आता है कि पूरा अस्तित्व बदल जाता है। शिव और पार्वती की यह कथा भी ऐसी ही एक आंतरिक क्रांति की कहानी है—जहाँ समर्पण इतना निर्मल, इतना स्वाभाविक हो गया कि दो रूपों का भेद ही मिट गया।

पार्वती जी प्रतिदिन विष्णुसहस्रनाम का पाठ करती थीं। यह उनका तप था, उनका प्रण था, और उनका भक्तिभाव था। वे हर दिन हजार नामों को वैसे ही अपनी आत्मा के भीतर उतारती थीं जैसे कोई साधक सूर्य की पहली किरण को हृदय में संजो लेता है। उनके लिए यह पाठ केवल नियम नहीं था—यह वह क्षण था जब वे देवत्व से बातचीत करती थीं, जहाँ शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। पर एक दिन कुछ विलंब हुआ। प्रातः की दिनचर्या थोड़ी बदल गई, कुछ पल निकल गए और तभी उन्हें खटका कि आज पाठ ठीक से पूर्ण होगा या नहीं। साधिका होने का अर्थ ही यही है कि मन अपनी हर त्रुटि को सूक्ष्मता से देखता है। शिव चुपचाप देख रहे थे—उनका मौन ही उनकी गहराई है। शिव को भक्ति का मर्म पता है, वे जानते हैं कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग संख्या और नियमों से नहीं, हृदय की सच्चाई से बनता है। उन्होंने अत्यंत सहजता से, बिना किसी तर्क की आड़ लिए कहा—"देवि, आज विष्णुसहस्रनाम की अपेक्षा केवल राम नाम एक बार ले लो। हजार नामों का फल तुम्हें आज एक नाम से ही प्राप्त हो जाएगा।"

यह वाक्य किसी और को सुनाया जाता तो वह तुरंत पूछ बैठता—कैसे? क्या प्रमाण है? क्या तर्क है? कितनी बार राम नाम? किस रीति से? पर पार्वती ने कुछ नहीं कहा। प्रश्नों की जंगल में जाने के स्थान पर उन्होंने विश्वास के छोटे से रास्ते को चुना—जो छोटा होता है, पर सीधे हृदय तक जाता है। उन्होंने एक बार राम नाम लिया, पूरी निष्ठा से, वैसे जैसे कोई जलती दीपक में अपना सारा अंधकार समर्पित कर दे। और फिर वे शिव के साथ भोजन करने बैठ गईं, जैसे यह सबसे साधारण बात हो।

पर शिव के भीतर यह साधारण नहीं था। यह वह क्षण था जिसे देखकर उनका अस्तित्व पिघल गया। विश्वास को देखने वाले के भीतर कैसा आनंद उठता है, यह वही जानता है जिसे किसी ने बिना शर्त भरोसा दिया हो। पार्वती के समर्पण ने शिव को भीतर से मोहित कर दिया। जैसे ही भोजन समाप्त हुआ, शिव ने पार्वती को अपने बाहुपाश में खींच लिया—एक ऐसा आलिंगन जिसमें प्रेम नहीं, केवल प्रेम से आगे का सत्य था। और उसी क्षण शिव ने उन्हें अपने भीतर विलीन कर लिया। दोनों एकाकार हो गए। शरीर दो थे, पर अस्तित्व एक हो गया—अर्धनारीश्वर का दिव्य स्वरूप उसी भाव से प्रकट हुआ।

पार्वती आश्चर्य में भर गईं। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा—"स्वामी, विवाह के समय भी हमारे मिलन का क्षण इतना ही पवित्र था, पर तब आपने अर्धनारीश्वर का रूप नहीं धारण किया। आज ही क्यों?"

शिव ने उनकी आँखों में देखते हुए कहा—"देवि, विवाह हमें संसार की दृष्टि में जोड़ता है, पर विश्वास हमें आत्मा की गहराइयों में जोड़ता है। विवाह विधि है, पर विश्वास सत्य है। विवाह के समय तुम्हारे और मेरे बीच संस्कार थे, पर आज केवल प्रेम और भरोसा था। यदि तुम पूछती कि एक नाम हजार नामों के बराबर कैसे हो सकता है, तब तुम साधिका तो रहतीं, पर आज जो अंतिम द्वार तुमने पार किया है, वह नहीं खुलता। दुनिया में हर कोई प्रश्न करता है, पर जो बिना पूछे स्वीकार कर ले—वही वास्तव में प्रिय के हृदय में प्रवेश करता है। आज तुमने वही किया। इसलिए आज हम दो नहीं रहे—हम एक हो गए।"

शिव का स्वर इतना पारदर्शी था कि पार्वती का हृदय भर आया। उन्हें पता चला कि भक्ति की ऊँचाई शब्दों के उच्चारण में नहीं, बल्कि उस विश्वास में छिपी होती है जिसके आगे तर्क स्वयं मार्ग छोड़ देता है। राम नाम उनके लिए अब केवल एक मंत्र नहीं रहा, वह शिव के हृदय तक जाने वाला वह पुल बन गया जिसे केवल सच्चे प्रेम से ही पार किया जा सकता है।

उस दिन का अनुभव केवल देवताओं का प्रसंग नहीं था—यह जीवन का अनंत रहस्य था। जब दो अस्तित्व एक-दूसरे में बिना शर्त समर्पित होते हैं, तब वे मिलते नहीं—वे विलीन हो जाते हैं। वही मिलन अर्धनारीश्वर है, वही प्रेम का अंतिम सत्य है, और वही समर्पण की वह पवित्रतम ज्योति है जो जगत के हर संबंध को अर्थ देती है।

यह कथा हमें बताती है कि जहाँ संदेह समाप्त होता है, वहीं दिव्यता प्रारंभ होती है। जहाँ प्रश्न रुक जाते हैं, वहाँ प्रेम बोलता है। और जहाँ प्रेम समर्पण बन जाता है, वहाँ दो रूपों में कोई भेद नहीं रहता—केवल एकता का शाश्वत प्रकाश रह जाता है।

पौष्टिक आहार के अक्षय पात्र का वृहद् विस्तार

महाभारत की एक कथा के अनुसार जब वनवास के दौरान पांडव सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य देव प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को अक्षय पात्र देते हैं, जिसका भोजन कभी खत्म ही नहीं होता। इस्कॉन का अक्षय पात्र भी पांडवों के अक्षय पात्र की तरह हो गया है—भूखे, बेसहारा, गरीब, बेघर बुजुर्ग माताओं, आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों की भूख मिटाने का आज यह बड़ा सहारा बन गया है। साल 2000 में शुरू हुआ यह संकल्प आज चौथाई सदी की यात्रा पूरी कर चुका है।

अक्षय पात्र सोलह राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों के करीब 24 लाख बच्चों को नियमित रूप से उनके स्कूलों में भोजन करा रहा है। साल 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का आदेश दिया। देश की सर्वोच्च अदालत में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया था कि खाद्य निगम के गोदामों में काफी मात्रा में अन्न सड़ जाता है। उस अन्न के जरिए मध्याह्न भोजन योजना लागू की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय को यह तर्क जंचा और उसके ही आदेश पर समूचे देश के स्कूलों में दोपहर में बना हुआ भोजन देना जरूरी कर दिया गया। इसके पहले केंद्र की नरसिंह राव सरकार ने 15 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय पोषण योजना के तहत चुने हुए ब्लॉकों में शुरुआत की थी, जिसके तहत स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन मुहैया कराना शुरू हुआ। बाद में इसके तहत बच्चों को मुफ्त चावल दिया जाने लगा। अक्षय पात्र फाउंडेशन की शुरुआत के पीछे अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद का भी एक संकल्प कार्य कर रहा है। स्वामी प्रभुपाद पश्चिम बंगाल के मायापुर में भगवान कृष्ण के भजन में लीन रहते थे। एक बार उन्होंने अपनी खिड़की से देखा, कूड़े में फेंके गए भोजन को लेकर कुत्ते और कुछ बच्चों में खींचतान चल रही थी। यह कारुणिक दृश्य देखकर प्रभुपाद परेशान हो गए। उन्होंने तब संकल्प लिया कि वे ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिसकी वजह से उनके आसपास कोई भूखा रहने को मजबूर न हो सके। इस्कॉन के मंदिरों में यह व्यवस्था अहर्निश अब तक जारी है।

बहरहाल, दीन-दुखियों, बच्चों, विधवा और बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों, स्कूली बच्चों और आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों को भोजन मुहैया कराने के लिए इस्कॉन से जुड़े दो संतों ने अक्षय पात्र की स्थापना 2000 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में की। इस्कॉन से जुड़े मधु पंडित दास और चंचलापति दास ने मिलकर अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना की। पहले साल इस योजना के तहत बेंगलुरू के पांच स्कूलों के 1,500 बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया गया। तब से फाउंडेशन कार्य कर रहा है।

अक्षय पात्र योजना का उद्देश्य कुपोषित बच्चों को भोजन मुहैया कराना और उन्हें शिक्षा हासिल करने में सहयोगी बनना है। कालांतर में संस्था का विस्तार तेजी से हुआ। अक्षय पात्र के जरिए अब तक चार अरब से ज्यादा थालियां खिलाई जा चुकी हैं। अक्षय पात्र की पहुंच आज 23,978 से अधिक स्कूलों तक हो गई है। इस साल मार्च में अक्षय पात्र ने अपना 78वां रसोईघर स्थापित किया।

अक्षय पात्र फाउंडेशन दान दाताओं से मिले सहयोग पर भी निर्भर है। अक्षय पात्र ने न सिर्फ भोजन की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखी है, बल्कि पौष्टिकता और पोषण का भी ध्यान रखा है। उसके पास जो 78 रसोईघर हैं, वे पूरी तरह मशीनीकृत हैं। उनमें स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। सैकड़ों लोगों द्वारा तैयार भोजन को स्कूलों और आंगनबाड़ियों को पूरी तरह एयर कंडिशंड व्यवस्था में भेजा जाता है। भोजन में तेल, सब्जी, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि जिस भी चीज का इस्तेमाल होता है, उनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, भोजन का मेन्यू भी एक ही नहीं होता। भोजन मेन्यू रोजाना अलग-अलग होता है।

संस्था का मकसद उद्देश्य पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त भोजन मुहैया कराकर स्कूली बच्चों की सेहत का ध्यान तो रखना ही है, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता को निर्बाध रखना है। अध्ययन बताते हैं कि दोपहर का भोजन मिलने के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट आई है।

साल 2003 में अक्षय पात्र फाउंडेशन को मध्याह्न भोजन योजना का भागीदार बनाया गया। इसी साल पहली बार फाउंडेशन ने कर्नाटक सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद कर्नाटक के हुबली, मैसूर और मंगलुरु के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के वृंदावन और राजस्थान के जयपुर जैसे अन्य स्थानों पर भी और अधिक रसोइयां स्थापित की गईं। इसी साल अगस्त में रेल गाड़ियों और स्टेशनों पर भोजन आदि की व्यवस्था करने वाले रेलवे के आईआरसीसीटी के साथ अक्षय पात्र ने समझौता किया है। इसके तहत चुनींदा स्टेशनों और रूटों पर रेल यात्रियों को अक्षय पात्र की थाली मिलने लगी है। निस्संदेह अगर दानदाता आगे आते रहे तो दूसरे इलाकों में भी स्कूली और आंगनबाड़ी के बच्चों को भी भोजन मुहैया कराया जा सकता है।

अभियान

शिव–पार्वती का अटूट समर्पण : विश्वास की वह ज्योति जिसने दो अस्तित्वों को एक कर दिया

समय की विशाल धारा में कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं, जो केवल पुराणों में वर्णित कथा मात्र नहीं रहतीं, बल्कि जीवन के गहन रहस्यों को उजागर करती हैं। शिव और पार्वती की यह कथा भी ऐसी ही है—जहाँ भक्ति, विश्वास, समर्पण और प्रेम का ऐसा अद्वितीय संगम है कि स्वयं महादेव भी भावविह्वल हो उठते हैं।

कैलास पर्वत पर उस दिन का वातावरण अत्यंत शांत था। हिम की उज्ज्वल चादर जैसे किसी दिव्य आरती की तरह चमक रही थी। मंद शीतल हवा देवदूतों की तरह महिमा का गान कर रही थी। पार्वती जी प्रतिदिन की तरह विष्णुसहस्रनाम का पाठ करने ही जा रही थीं। यह नियम उन्होंने केवल साधना के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर अनुशासन, श्रद्धा और समर्पण को जगाए रखने के लिए बनाया था।

पर उस दिन किंचित विलंब हो गया—शायद प्रकृति ही चाहती थी कि आज कुछ विशेष घटित हो। जब वे पाठ आरंभ करने को हुईं तो शिव जी मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी सामान्य प्रसन्नता की नहीं थी; वह मुस्कान थी अनंत ज्ञानवान पुरुषोत्तम की, जो जानते हैं कि सत्य का मार्ग कितना सरल है, पर मनुष्य उसे कितना जटिल बना लेता है।

शिव बोले—

"देवि, यदि आज थोड़ा विलंब हो भी गया तो क्या? आप एक बार 'राम' नाम ले लीजिए उसके प्रभाव से सहस्र नामों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा।"

पार्वती जी के मन में कोई संशय, कोई प्रश्न, कोई तर्क—कुछ भी नहीं उठा। न उन्होंने यह पूछा कि एक नाम हजार नामों के बराबर कैसे हो सकता है, न वह गणना में उतरीं। उन्होंने बस एक साधारण, गहन और गूढ़ कार्य किया—विश्वास किया।

उन्होंने 'राम' नाम का उच्चारण किया। नाम मंद था, परंतु उसका प्रभाव अनंत।

जैसे ही यह उच्चारण उनके मुख से निकला, पूरा कैलास जैसे किसी अदृश्य आनंद से भर उठा।

इसके बाद वे अत्यंत सरलता से महादेव के साथ भोजन के लिए बैठ गईं। शिव जी उस क्षण को देख रहे थे—पार्वती की सहजता, उनका विश्वास, उनका समर्पण, और वह भाव कि "मेरे प्रभु ने कहा है तो सत्य ही होगा।"

जब भोजन समाप्त हुआ तो वह हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। शिव जी ने पार्वती जी को अपने आलिंगन में ले लिया—पर वह आलिंगन किसी सामान्य प्रेम का प्रतीक नहीं था। यह एक दिव्य मिलन था, जिसमें दो अस्तित्व एकाकार हो जाते हैं।

क्षणभर में पार्वती जी ने अनुभव किया कि वे शिव से विलग नहीं रहीं।

उनका देह, उनका चेतन, उनका श्वास—सब शिव के अंग में समाहित हो गया।

वे अर्धनारीश्वर रूप में एक हो गए।

न दो थे, न दो की कोई सीमा—केवल एकत्व था, पूर्ण अद्वैत था।

पार्वती जी आश्चर्य से भर उठीं।

उन्होंने धीमे स्वर में पूछा—

"नाथ, विवाह के समय जब हम अग्नि के समक्ष एक हुए थे, तब भी आप अर्धनारीश्वर नहीं बने। आज ही यह मिलन क्यों?"

शिव जी की आँखों में प्रेम का समंदर उमड़ आया।

उन्होंने कहा—

"देवि, विवाह तो दो शरीरों का, दो कुलों का, दो जीवनों का संबध है—पर आज यह मिलन दो आत्माओं का है।

आज तुमने केवल एक नाम नहीं लिया, आज तुमने मुझ पर पूर्ण विश्वास किया।

यदि तुम्हारे भीतर किंचित भी संदेह होता,

तो तुम अवश्य पूछतीं कि हजार नाम और एक नाम समान कैसे हो सकते हैं।

पर तुमने प्रश्न नहीं किया।

आज तुम्हारा विश्वास मेरे प्रति पूर्ण हो गया।

और विश्वास ही तो वह पुल है जिसके पार प्रेम पूर्णता पाता है।

इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ एकाकार हो गया।"

शिव के इन शब्दों में केवल तर्क नहीं था—उसमें दिव्यता थी।

आज शिव और शक्ति में भेद मिट चुका था।

यह मिलन किसी रीति–रिवाज का परिणाम नहीं, बल्कि समर्पण के उस भाव का फल था जहाँ कोई 'मैं' नहीं रहता—केवल 'हम' ही शेष रहता है।

कैलास उस दिन केवल देवों का निवास नहीं था—वह स्वयं प्रेम, विश्वास और एकत्व का तीर्थ बन गया था।

देवता अदृश्य होकर इस अद्भुत दृश्य को निहार रहे थे।

हिमालय तक उस मिलन की ऊर्जा फैल गई।

वह ऊर्जा आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है—

यह कहती हुई कि समर्पण से बड़ा कोई मंत्र नहीं, विश्वास से बड़ा कोई तप नहीं, और प्रेम से बड़ा कोई मिलन नहीं।

शिव और पार्वती की यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि संबंधों में तर्क नहीं, विश्वास ही वह प्रकाश है जो दो प्राणों को एक बना देता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: केवल समानता के आधार पर नहीं मिलेगी जमानत, गंभीरता और आरोपी की भूमिका पर होगी ध्यान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी मामले में सह-आरोपी को जमानत मिल जाने भर से दूसरे आरोपी को स्वतः राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत एक सामान्य न्यायिक सिद्धांत है, लेकिन इसे देते समय अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता और आरोपी की भूमिका जैसे सभी पहलुओं का गहन परीक्षण आवश्यक है।

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा हत्या के एक मामले में दिए गए जमानत आदेश को रद्द करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने केवल सह-आरोपी को मिली राहत के आधार पर निर्णय लिया, जबकि यह विधि के अनुरूप नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत का सिद्धांत समानता (पैरिटी) तभी लागू होता है, जब दोनों आरोपियों की भूमिका, परिस्थितियां और केस में संलग्न स्थिति पूरी तरह समान हों। सिर्फ यह तथ्य कि दोनों आरोपी एक ही मामले में नामजद हैं, जमानत का पर्याप्त आधार नहीं बन सकता।

पीठ ने यह भी दोहराया कि जमानत एक संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अदालत को न केवल अपराध की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति पर विचार करना होता है, बल्कि साक्ष्यों की स्थिति, आरोपी के आचरण और समाज पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि समानता केवल एक सहायक तत्व हो सकती है, न कि जमानत का निर्णायक आधार।

इस फैसले को जमानत से जुड़े न्यायिक मानकों को और संतुलित बनाने और अदालतों को निर्णय प्रक्रिया में सावधानी बरतने के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जमानत केवल एक औपचारिकता या पूर्वनिर्धारित प्रक्रिया न बनकर, आरोपी की वास्तविक भूमिका और अपराध की गंभीरता के अनुसार न्यायसंगत तरीके से दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय जमानत मामलों में पूर्व की तुलना में अधिक विवेकपूर्ण और तथ्यपरक दृष्टिकोण को मजबूती देने वाला है और न्यायिक प्रणाली में समानता और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में अहम कदम माना जाता है।

दिल्ली विस्फोट मामले में एनआईए हिरासत बढ़ी, आमिर रशीद अली सात दिन और रिमांड पर

नई दिल्ली। लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर रशीद अली की एनआईए हिरासत को पटियाला हाउस कोर्ट ने सात दिनों के लिए बढ़ा दिया है। प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज अंजु बजाज चांदना ने एजेंसी की दलील मानते हुए हिरासत अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया। आमिर रशीद अली को एनआईए ने 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था और उसकी हिरासत की मौजूदा अवधि आज समाप्त होने वाली थी।

एनआईए के अनुसार, आमिर ने मुख्य साजिशकर्ता डॉ. उमर नबी को विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार उपलब्ध कराने में मदद की थी। अब तक इस मामले में कुल सात आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इससे पहले अदालत ने 18 नवंबर को उमर नबी के करीबी सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को दस दिन के लिए एनआईए हिरासत में भेजा था। जसीर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी का दावा है कि उसने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और विस्फोट से पहले रॉकेट बनाने की कोशिश की थी।

जांच में सामने आया है कि उमर नबी ने राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को कई महीनों तक ब्रेनवॉश किया और उसे आत्मघाती हमलावर बनाने की योजना बनाई। अक्टूबर 2024 में दानिश का उमर के 'डॉक्टर मॉड्यूल' से कुलगाम की मस्जिद में संपर्क हुआ, जिसके बाद उसे फरीदाबाद ले जाकर ठहराया गया। पूछताछ में दानिश ने बताया कि उमर और उसके साथी उसे जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उसने आत्मघाती हमला करने से इनकार कर दिया।

एनआईए की जांच तेज गति से जारी है और एजेंसी ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच के दौरान तकनीकी और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर साजिश के नेटवर्क का पूरा खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की हिरासत बढ़ाना एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि मामले की गहन जांच और सबूतों का विस्तार से विश्लेषण किया जा सके।

ट्रेन संख्या 09086 का शॉर्ट टर्मिनेशन

(जीएनएस)। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर कम्प्लीट ट्रैक रिन्यूअल कार्य कार्य के लिए 60 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी कारण ट्रेन संख्या 09086 का शेड्यूल इस प्रकार रहेगाः ट्रेन संख्या 09086 इंदौर – मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस बुधवार और शुक्रवार को दादर स्टेशन पर तथा रविवार को बोरीवली स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की जाएगी। यह व्यवस्था आगे के आदेश तक जारी रहेगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा महापरिनिर्वाण दिवस पर दादर स्टेशन पर सुरक्षा एवं सुविधा की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर, 2025 को दादर स्टेशन पर बड़ी संख्या में आने वाले अनुयायियों की सुरक्षा, सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। लगभग 700 जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों को दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पुलों, प्रवेश–निकास द्वारों और रेलवे परिसर में चौबीसों घंटे तैनात किया जाएगा। स्टेशन पर 160 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष की 24x7 निगरानी के लिए स्टाफ तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा को उन्नत वीडियो एनालिटिक्स सुविधाओं जैसे फेस रिकग्निशन सिस्टम, पीपल डेंसिटी एनालिसिस, लेफ्ट-ओवर लगेज डिटेक्शन और लाइन-क्रॉसिंग अलर्ट आदि की सहायता से और मजबूत किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दादर स्टेशन पर आगंतुकों और चैत्यभूमि जाने वाले अनुयायियों की सहायता के लिए 24x7 कार्यरत कई हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इन हेल्प डेस्क पर तैनात आरपीएफ, जीआरपी और टिकट जांच कर्मचारी आगंतुकों को चैत्यभूमि, राजगृह, ट्रेन समय और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए आरपीएफ डॉग स्क्वॉड, क्विक रिस्पॉन्स टीम और जीआरपी बम डिटेक्शन एंड डिस्पोज़ल स्क्वॉड (BDDS) द्वारा लगातार एंटी-सैबोटाज जांच की जाएगी। भीड़ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम रेलवे ने बीएमसी एफओबी और तिलक एफओबी जैसे भीड़-प्रवण क्षेत्रों में बैरिकेडिंग और रस्सियों के माध्यम से सेगरेगेशन की व्यवस्था की है। प्रवेश और निकास बिंदुओं पर नियंत्रित डायवर्जन की भी व्यवस्था की गई है। सुगम आवागमन के लिए सभी पुलों और द्वारों पर स्पष्ट दिशा-सूचक संकेतक लगाए गए हैं। चिकित्सा सहायता के लिए दादर स्टेशन पर डॉक्टर, प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस सहित 24x7 सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। पश्चिम रेलवे के दादर स्टेशन परिसर में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है और कम रोशनी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त लाइटें लगाई गई हैं ताकि उचित दृश्यता सुनिश्चित की जा सके।

पश्चिम रेलवे सभी अनुयायियों से धैर्य बनाए रखने और अपनी यात्रा के दौरान सहयोग करने की अपील करता है। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सभी आगंतुकों को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित अनुभव सुनिश्चित करने हेतु पश्चिम रेलवे आवश्यक सुविधाएँ, समय पर मार्गदर्शन और आवश्यक सहायता प्रदान करने के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

भारतीय रेलवे चौथे काशी तमिल संगमम के लिए तमिलनाडु से वाराणसी के लिए सात विशेष ट्रेनें चला रहा है

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे कन्याकुमारी, चेन्नई, कोयंबटूर और वाराणसी के बीच सात विशेष रेलगाडियों का संचालन कर रहा है ताकि चौथे काशी तमिल संगमम में बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और तमिल भाषी क्षेत्र व काशी के प्राचीन आध्यात्मिक केंद्र के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ किया जा सके। इन विशेष ट्रेनों को इस बहु-दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए निर्बाध यात्रा, आरामदायक लंबी दूरी की कनेक्टिविटी और समय पर आगमन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया है।

29 नवंबर 2025 को कन्याकुमारी से पहली ट्रेन के रवाना होने के साथ इन सेवाओं की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आज चेन्नई से एक अतिरिक्त विशेष ट्रेन रवाना हुई। अगली प्रस्थान 3 दिसंबर को कोयंबटूर से, 6 दिसंबर को चेन्नई से, 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से, 9 दिसंबर को कोयंबटूर से और 12 दिसंबर 2025 को चेन्नई से एक और सेवा निर्धारित है। इन नियोजित प्रस्थानों के साथ, तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से बनारस के लिए कुल सात विशेष ट्रेनें एक सुव्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से चलेंगी।

समय पर वापसी की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने बनारस से कई विशेष रेलगाडियों की व्यवस्था की है। इनमें 5 दिसंबर को कन्याकुमारी, 7 दिसंबर को चेन्नई और 9 दिसंबर को कोयंबटूर के लिए ट्रेन शामिल हैं। इसके अलावा 11 दिसंबर को चेन्नई, 13 दिसंबर को कन्याकुमारी, 15 दिसंबर को कोयंबटूर और 17 दिसंबर 2025 को चेन्नई के लिए भी अतिरिक्त रेलगाडिय़ां चलेंगी।

आज से शुरू हो रहा काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण तमिलनाडु और काशी के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंध को निरंतरता देता है। यह संस्करण "आइए तमिल सीखें-तमिल करकलम" विषय पर केंद्रित है, जो वाराणसी के स्कूलों में तमिल शिक्षण पहल, काशी क्षेत्र के छात्रों के लिए तमिलनाडु के अध्ययन दौरों और तेनकाशी से काशी तक प्रतीकात्मक ऋषि अगस्त्य वाहन अभियान के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। काशी तमिल संगमम 4.0, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सार को दर्शाता है जो लोगों को अपनी संस्कृति के अलावा अन्य समृद्ध संस्कृतियों को समझने और उसकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रमुख ज्ञान भागीदार के रूप में शामिल हैं। रेलवे सहित दस मंत्रालयों की भागीदारी से, यह कार्यक्रम दोनों क्षेत्रों के छात्रों, कारीगरों, विद्वानों, आध्यात्मिक गुरुओं, शिक्षकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ता है, जिससे उनके बीच विचारों, सांस्कृतिक विधियों और पारंपरिक ज्ञान का आदान-प्रदान सुगम होता है।

इन सात विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से सांस्कृतिक रूप से समृद्ध इस यात्रा कार्यक्रम का समन्वय कर, भारतीय रेलवे देश के विविध क्षेत्रों को जोड़ने तथा तमिलनाडु व काशी के बीच साझा विरासत को सुदृढ़ करने में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

विश्व एड्स दिवस पर भावनगर रेलवे मंडल में आयोजित हुआ व्यापक जनजागरूकता अभियान

(जीएनएस)। विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day) के अवसर पर दिनांक 01 दिसम्बर 2025 को भावनगर रेलवे मंडल के सभी हेल्थ यूनिट्स तथा डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, भावनगर परा में HIV/AIDS के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिक्षक श्री सुबोध कुमार के दिशा निर्देशों के अनुरूप विविध कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों में एड्स संबंधी मिथकों को दूर करना, रोकथाम की जानकारी प्रदान करना तथा स्वस्थ एवं सुरक्षित व्यवहार को प्रोत्साहित करना रहा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि DRH BVP में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल स्टाफ द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसमें HIV/AIDS के कारण, प्रसार, रोकथाम तथा समाज में प्रचलित गलत धारणाओं को सरल, शिक्षाप्रद एवं मनोरंजक शैली में दर्शाया गया। उपस्थित कर्मचारियों, मरीजों एवं परिजनों ने इस प्रस्तुति की अत्यंत सराहना की और जागरूकता संदेशों को आत्मसात किया। इसके अतिरिक्त अस्पताल परिसर में एचआईवी/एड्स पर स्वास्थ्य वार्ता (Health Talk), पोस्टर एवं बैनर प्रदर्शनी, रेड रिबन वितरण, IEC जागरूकता साहित्य का वितरण जैसी गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं।

भावनगर डिवीजन के धोला, जूनागढ़, जेतलसर, महुवा, पोरबंदर, गोंडल, बोटाद, धोलका, वेरावल सहित सभी हेल्थ यूनिट्स में भी विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम पूरे उत्साह से आयोजित किए गए। विभिन्न इकाइयों में पम्पलेट वितरण किया गया, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने HIV/AIDS से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की। कुछ हेल्थ यूनिट्स जैसे धोला, जेतलसर एवं जूनागढ़ ने कॉलोनी परिसर में पोस्टर डिस्प्ले व जागरूकता संदेशों का प्रसार कर अभियान को और प्रभावी बनाया।

भावनगर मंडल अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में विश्व एड्स दिवस पर आयोजित यह व्यापक जागरूकता अभियान रेलवे समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक चेतना और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

अहमदाबाद मंडल ने नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 800 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया

राजस्व में 15.88% की ऐतिहासिक वृद्धि, माल ढुलाई राजस्व में सर्वकालिक उच्च स्तर पर

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने नवंबर 2025 उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंडल ने नवंबर 2025 में 806.68 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने के प्रदर्शन से 15.88% अधिक है।

नवंबर 2025 की उपलब्धियां

- सर्वश्रेष्ठ माल ढुलाई राजस्वः मंडल ने 628.68 करोड़ का शानदार माल ढुलाई राजस्व (Goods Revenue) अर्जित किया। यह इस वित्तीय वर्ष नवंबर 2025 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो नवंबर 2024 के माल ढुलाई राजस्व 554.65 से 13.35% अधिक है।
- यात्री राजस्व में वृद्धिः नवंबर 2025 में मंडल से 34.90 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जिससे 152.59 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ जो गतवर्ष 125.28 करोड़ की तुलना में 21.80% की उल्लेखनीय वृद्धि है।
- OCH (अन्य कोचिंग राजस्व) में महत्वपूर्ण उछालः अन्य कोचिंग (OCH) राजस्व 25.50 करोड़ रहा, जो गतवर्ष नवंबर 2024 के ओसीएच राजस्व 16.20 करोड़ से 57.41% अधिक है।

- टिकट जाँच राजस्वः टिकट जाँच राजस्व में भी सुधार हुआ, जो 2.43 करोड़ तक पहुँच गया, जो गतवर्ष के 1.82 करोड़ से 33.52% अधिक है।

BDU (बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट) के प्रयासः

बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट (BDU) के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप, पाँच माल ढुलाई टर्मिनलों ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक माल ढुलाई राजस्व दर्ज कियाः

- चंडीसर (ATGC) में मेसर्स अल्फा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का जीसीटीः 3.36 करोड़।
- मेसर्स नवकार कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NCLW) का जीसीटीः 10.43 करोड़।
- मेसर्स कॉन्टिनेंटल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWCJ) न्हावा शेवाः 5.29 करोड़।
- सणोसरा माल टर्मिनल (SNSR): 9.62 करोड़।
- शिरवा माल टर्मिनल (SRVA): 11.37 करोड़।

नए यातायात स्ट्रीम और नवाचार

- नया उत्पाद (New Commodity): पहली बार डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटेड "रीफर" कंटेनर रैक को सफलतापूर्वक MHPL-साणंद से पिपावाव पोर्ट के लिए लोड और रवाना किया गया, जिससे 6.57 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।
- नया शुरुआती बिंदु (New Originating Point): गांधीधाम (GIMB) से आज़रा (AZA), एनएफ रेलवे के लिए मिश्रित वस्तुओं का एक नया रैक लोड किया गया, जिससे 85.75 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

नए कस्टमर और राजस्वः

- औद्योगिक नमक के चार रेक सनोसरा से नागदा और गढ़वा रोड प्राइवेट साइडिंग के लिए लोड किए गए, जिससे 2.34 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।
- एनपीके उर्वरकों के बारह रेक कांडला पोर्ट और कांडला पोर्ट डॉक रेल टर्मिनल से छह-छह रेक लोड किए गए, जिससे 5.30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।
- बेंटोनाइट के दो रेक को BOST वैगनों में सनोसरा से रंगाली, पूर्व तटीय रेलवे तथा करिगनूरू, दक्षिण पश्चिम रेलवे की प्राइवेट साइडिंग के लिए लोड किया गया, जिससे 1.30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

टिकट चेकिंग राजस्व

- अहमदाबाद स्टेशन पर तीन फोर्ट्रेस चेकिंग आयोजित की गईं, जिसमें 31 टिकट चेकिंग स्टाफ शामिल थे। इन जांचों में 657 अवैध यात्रियों के मामले पाए गए और उनसे 4.42 लाख जुर्माना वसूला गया।
- अहमदाबाद, महेसाणा, गांधीधाम, पालनपुर, साबरमती, मणिनगर और विरमगाम में आठ विशेष फोर्ट्रेस चेकिंग आयोजित की गईं, जिनमें 2015 अवैध यात्रियों के मामले पाए गए और उनसे 14.49 लाख जुर्माना वसूला गया।
- नवंबर 2025 में टिकट जांच से 2.43 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ, जो 0.33 लाख मामलों पर आधारित है। यह 2.35 करोड़ के लक्ष्य से 3.40% अधिक है।
- रेलवे परिसरों को गंदा करने वाले यात्रियों के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए, धारा 198 के तहत 349 मामलों में एंटी-लिटरिंग और एंटी-थूकने का जुर्माना वसूला गया, जिसकी राशि 0.68 लाख है।

व्यापार आउटरीच और गैर-किराया राजस्व (NFR)

- लॉजिस्टिक्स को बढ़ावाः मंडल रेल प्रबंधक (DRM) ने 27.11.2025 को कच्छ क्षेत्र में रेल लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने और माल ढुलाई की आवाजाही को मजबूत करने के लिए गांधीधाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ एक बैठक की। जिसका लक्ष्य 50 मीट्रिक टन यातायात हासिल करना है।
- गैर-किराया राजस्व (NFR): नॉन-डिजिटल विज्ञापन बोर्डों और होर्डिंग्स के लिए ई-नीलामी के माध्यम से 2.10 करोड़ की संपत्ति आवंटित की गई। मेहसाणा रेलवे स्टेशन पर पार्किंग स्थल की 03 साल की अवधि के लिए ई-नीलामी 0.31 करोड़ के संविदात्मक मूल्य पर आवंटित की गई।

आईआईटी कानपुर और एनएमडीसी ने मिलाया हाथ, खनन क्षेत्र में साइबर सुरक्षा और डिजिटल नवाचार को मिलेगा नई दिशा

(जीएनएस)। कानपुर। भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थान आईआईटी कानपुर और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएमडीसी लिमिटेड ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य खनन क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अत्याधुनिक तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना है। इस सहयोग के तहत एनएमडीसी के आईटी और ओटी (ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी) सिस्टम्स को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए आईआईटी कानपुर की विशेषज्ञ टीम विभिन्न परियोजनाओं पर काम करेगी।

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि संस्थान का अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और डिजिटल प्रणाली के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि यह साझेदारी केवल एनएमडीसी के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि खनन क्षेत्र में स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, डिजिटल ट्विन्स, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों को भी लागू किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप न केवल संचालन की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि खनन उद्योग में नवाचार और डिजिटल सुरक्षा के नए मानक भी स्थापित होंगे।

एमओयू के तहत आईआईटी कानपुर का सी3आईहब एनएमडीसी को साइबर रिस्क असेसमेंट, सुरक्षा खामियों की पहचान, सुरक्षा प्रबंधन, घटना प्रतिक्रिया योजना (Incident Response Plan) और सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (SOC) के मॉडल को मजबूत करने में सहयोग देगा। इसके अलावा, दोनों संस्थान संयुक्त रूप से अनुसंधान परियोजनाएं चलाएंगे, तकनीकी पायलट परियोजनाओं को कार्यान्वित करेंगे और इन परिणामों को बड़े स्तर पर लागू करने की योजना भी बनाएंगे।

प्रो. अग्रवाल ने कहा कि यह सहयोग खनन उद्योग में डिजिटल नवाचार और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि आधुनिक खनन प्रक्रियाओं में डेटा सुरक्षा और तकनीकी निगरानी अत्यंत जरूरी हो गई है, क्योंकि खनन कंपनियों का संचालन अब ऑटोमेटेड सिस्टम्स और स्मार्ट मशीनों पर निर्भर करता है। इस साझेदारी के माध्यम से एनएमडीसी को न केवल साइबर हमलों से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उत्पादन, रखरखाव और संसाधन प्रबंधन की दक्षता भी बढ़ेगी।

एनएमडीसी के अधिकारियों ने कहा कि इस एमओयू से खनन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल देश में खनन उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ-साथ सुरक्षा और नवाचार के उच्च मानकों को स्थापित करने में मदद करेगी। अधिकारीयों ने बताया कि भविष्य में इस साझेदारी के तहत विकसित समाधान खनन क्षेत्र के अन्य संगठनों के लिए भी मॉडल के रूप में पेश किए जा सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि आईआईटी कानपुर और एनएमडीसी का यह सहयोग केवल एक तकनीकी समझौता नहीं है, बल्कि यह देश के खनन क्षेत्र में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साइबर सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक पहल है। इस कदम से खनन उद्योग में स्मार्ट टेक्नोलॉजी के व्यापक प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत में खनन संचालन अधिक सुरक्षित, दक्ष और आधुनिक बन सकेगा। इस सहयोग से यह स्पष्ट संदेश भी जाता है कि देश के सार्वजनिक और तकनीकी संस्थान मिलकर डिजिटल सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: वकीलों के आपराधिक मामलों का विस्तृत ब्यौरा तलब, न्यायपालिका की नैतिक वैधता पर जताई गंभीर चिंता

(जीएनएस)। प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य भर में वकीलों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विस्तृत विवरण तलब किया है, जिससे न्यायपालिका की नैतिक वैधता और कानूनी प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। मंगलवार को न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और डीजीपी अभियोजन को निर्देश दिया कि वे सभी रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ लंबित अपराधों का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। यह आदेश अधिवक्ता मोहम्मद कफील की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया।

अदालत ने कहा कि कई बार एसोसिएशनों में प्रमुख पदों पर बैठे वकीलों का आपराधिक इतिहास कानून के शासन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। न्यायालय ने विशेष रूप से इस तथ्य पर चिंता जताई कि याची स्वयं कई आपराधिक मामलों में शामिल है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले भी शामिल हैं, और उसके भाई गंभीर अपराधों में संलिप्त

हैं। अदालत ने कहा कि कानूनी प्रणाली केवल प्रावधानों पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसकी ताकत उसकी नैतिक वैधता और जनता के विश्वास में निहित होती है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी न्यायपालिका के अधिकारी होने के साथ-साथ पेशेवर नैतिकता के संरक्षक भी हैं। ऐसे में यदि किसी पदाधिकारी के खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोप हों, तो यह न्यायिक प्रणाली के लिए संवेदनशील मामला है, क्योंकि इससे पुलिस और न्यायिक प्रक्रियाओं पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है।

अदालत ने सभी कमिश्नर, एसएसपी, एसपी और संयुक्त निदेशक अभियोजन को निर्देश दिया कि वे यूपी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकीलों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसमें एफआईआर पंजीकरण की तिथि, अपराध संख्या, लागू धाराएं, संबंधित थाना, विवेचना की वर्तमान स्थिति, चार्जशीट दाखिल करने और आरोप तय करने की तिथि, परीक्षित गवाहों का विवरण और ट्रायल की वर्तमान स्थिति का विवरण शामिल होना आवश्यक है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि पुलिस संबंधी विवरण डीजीपी द्वारा, जबकि अभियोजन पक्ष की जानकारी डीजीपी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। किसी भी तरह की ढिलाई गंभीरता से ली जाएगी। याची ने भी पूरक हलफनामे में स्वीकार किया कि उस पर कुछ मामले दर्ज हैं, लेकिन उसने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। हालांकि, राज्य सरकार के हलफनामे में यह खुलासा हुआ कि याची के पांच भाई—शकील, नौशाद, अकील, फैजान उर्फ गुड्डन और दिलशाद—हत्या के प्रयास, गोहत्या, जुआ अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों में नामजद हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश वकीलों के आपराधिक रिकॉर्ड पर पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम है। यह न्यायपालिका की नैतिक वैधता को बनाए रखने और पेशेवर मानकों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे कानून के शासन पर जनता का भरोसा और भी दृढ़ होगा।

बलरामपुर में नेपाली तीर्थयात्रियों की बस हादसे का शिकार, दो की मौत, 24 गंभीर रूप से घायल

(जीएनएस)। काठमांडू/बलरामपुर। नेपाल से तीर्थयात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं को ले जा रही बस उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें दो नेपाली नागरिकों की मौत हो गई और 24 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा सोमवार देर रात करीब 2 बजे

हुआ। जानकारी के अनुसार, यूपी-22 एटी-0245 नंबर की यह बस बुटवल स्थित शुभसाइत ट्रैवल्स की थी। बस में कुल 45 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश बुटवल और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस रास्ते में एक ट्रक से टकरा गई और इसके बाद वाहन में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण कई यात्री जल गए और दो की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

रूपन्देही जिला पुलिस कार्यालय ने बताया कि नेपाल पुलिस को अभी तक इस हादसे की आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। जिला पुलिस के सूचना अधिकारी डीएसपी सूरज कार्की ने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से घटना की जानकारी हुई है और इस संबंध में बलरामपुर प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है। भारतीय प्रशासन जल्द ही मृतकों की पहचान और घायलों की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा।

स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और घायल यात्रियों के इलाज तथा बस दुर्घटना की परिस्थितियों की जानकारी जुटाने के लिए टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए नेपाल और भारत दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच संपर्क जारी है, ताकि प्रभावित परिवारों को आवश्यक मदद और राहत प्रदान की जा सके।

अयोध्या में विश्वस्तरीय 'मंदिर संग्रहालय' के लिए 52 एकड़ भूमि स्वीकृत, योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में अयोध्या के विकास से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसला 'मंदिर संग्रहालय' के लिए अतिरिक्त भूमि प्रदान करने का था। पहले तय 25 एकड़ की जगह अब कुल 52.102 एकड़ भूमि निःशुल्क परियोजना के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह संग्रहालय टाटा सन्स के सहयोग से बनाया जाएगा और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि टाटा सन्स इस संग्रहालय का निर्माण और संचालन अपने सीएसआर फंड के माध्यम से करेगी। यह परियोजना कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी एसपीवी के रूप में संचालित होगी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टाटा सन्स के बीच 3 सितंबर को त्रिपक्षीय एमओयू हो चुका है। अतिरिक्त भूमि की मांग टाटा सन्स ने संग्रहालय को और भव्य बनाने के लिए की थी, जिसके बाद सरकार ने मांझा जमथरा गांव स्थित 52.102 एकड़ नजूल भूमि को परियोजना के लिए मंजूर किया।

कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण

शिविरों और यात्रा की अवधि को सेवा अवधि यानी 'ड्यूटी' में शामिल किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को अनुमति और अवकाश संबंधी प्रक्रियाओं में आसानी होगी और प्रतियोगिताओं में भाग लेने की राह सुगम होगी।

वाराणसी में निर्माणाधीन डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के संचालन और रखरखाव के लिए भी मंजूरी दी गई। स्टेडियम अब भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के नियंत्रण में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें स्टेडियम परिसर की सभी खेल सुविधाएं—भवन, ग्राउंड और संबंधित अवसंरचना—साई को सौंप दी जाएंगी।

दिव्यांगजनों के लिए राज्य के सभी 18 मंडलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। फिलहाल 38 जिलों में ऐसे केंद्र हैं, लेकिन कई स्थानों पर संसाधनों और प्रबंधन की कमी के कारण कार्य प्रभावित हो रहा था। नई व्यवस्था से दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा।

इसके अलावा, शहरी पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कानपुर और बरेली नगर निगम क्षेत्रों में अमृत 2.0 मिशन के तहत दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कुल 582.74 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं के जरिए पेयजल आपूर्ति नेटवर्क का विस्तार और मजबूती मिलेगी, जिससे दोनों शहरों की आबादी को स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

योगी कैबिनेट के इन फैसलों को अयोध्या और पूरे उत्तर प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

पंजाब का अनोखा मुकाबला : खाली बैठने वाले बने विजेता, 31 घंटे तक कुछ नहीं किया और जीता इनाम

(जीएनएस)। पंजाब के मोगा जिले के गांव घोलियां खुर्द में एक बेहद ही अनोखी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा बल्कि युवा प्रतिभागियों के धैर्य और मानसिक शक्ति को भी परखा। इस मुकाबले में प्रतिभागियों को घंटों तक कुछ नहीं करने की चुनौती दी गई। नियमों के अनुसार प्रतियोगियों को पूरी अवधि के दौरान खाली बैठना था, वे सिर्फ किताबें पढ़ सकते थे या भगवान का नाम ले सकते थे। इसके अलावा न खाने-पीने की अनुमति थी, न मोबाइल फोन का उपयोग किया जा सकता था और न ही वॉशरूम जाने की इजाजत थी। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखना और मानसिक ध्यान व संयम की कला सिखाना था। प्रतियोगिता में कुल 55 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से पहले दो विजेता 31 घंटे 5 मिनट तक बिना कुछ किए, बस बैठे रहे। उन्हें संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। इस अनोखे मुकाबले के आयोजन का उद्देश्य युवाओं में संयम, ध्यान और सादगी की आदतें विकसित करना था।

पहले स्थान पर सतबीर सिंह और लाभप्रीत सिंह रहे। सतबीर सिंह नाथेक के रहने वाले हैं जबकि लाभप्रीत सिंह रोली के निवासी

हैं। दोनों ने 31 घंटे 5 मिनट तक निरंतर बैठकर प्रतियोगिता पूरी की। तीसरा स्थान चानन सिंह को मिला, जिन्होंने 29 घंटे तक मुकाबले में बने रहकर अपनी पकड़ बनाए रखी। प्रतियोगिता के दौरान उन्हें अपने साथियों से बातचीत करने की अनुमति दी गई थी। विजेताओं ने बताया कि यह प्रतियोगिता बहुत अच्छी पहल है। सतबीर और लाभप्रीत ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रखकर मानसिक विकास में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि यह आदत उन्हें घर पर लंबे समय तक व्यर्थ समय बिताने के बजाय पुस्तकें पढ़ने और आध्यात्मिक साधना में समय लगाने के लिए प्रेरित करेगी।

प्रतियोगिता के इनाम भी विशेष थे। सतबीर और लाभप्रीत को 3,500-3,500 रुपये नगद, एक-एक देसी घी का डिब्बा और साइकिल पुरस्कार स्वरूप दिए गए। तीसरे स्थान पर आए चानन सिंह को 1,500 रुपये नगद पुरस्कार मिला। 55 में से अधिकांश प्रतिभागी, 52 लोग, 20 से 24 घंटे में ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस अनोखे और मनोरंजक मुकाबले ने न केवल गांव के लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि युवाओं के लिए डिजिटल और मानसिक Detox का संदेश भी दिया। आयोजकों का कहना है कि भविष्य में इस तरह के आयोजन अधिक गांवों में किए जाएंगे, ताकि युवा पीढ़ी को मोबाइल और तकनीकी व्यस्तताओं से कुछ समय दूर रखकर मानसिक और आध्यात्मिक विकास के अवसर मिल सकें।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की चेतावनी, हवा हुई 'बेहद खराब', मास्क के बिना निकलना जोखिम भरा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। शनिवार शाम 4 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 372 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि यदि स्थिति इसी तरह बनी रही तो अगले कुछ दिनों में यह 'गंभीर' स्तर तक पहुंच सकती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में तेजी से वृद्धि हो सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण ठंडी हवाओं की कमी और तापमान में गिरावट है। हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषक कण जमीन के पास जमा हो रहे हैं और सांस लेना कठिन बना रहे हैं। इसके अलावा वाहन यातायात, पराली जलाना, निर्माण कार्य और घरेलू धुआं प्रदूषण को

बढ़ावा दे रहे हैं। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में प्रदूषण का 20.45 फीसदी स्रोत वाहन हैं। पराली जलाने का योगदान 1.97 फीसदी, निर्माण और ध्वंस गतिविधियों का 3.10 फीसदी तथा आवासीय क्षेत्रों से 5.30 फीसदी प्रदूषण आ रहा है।

दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में स्थिति और गंभीर है। चांदनी चौक में औसत एक्यूआई 450 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। बवाना का एक्यूआई 415, आनंद विहार 408, पंजाबी बाग 392, आईटीओ 379, शादीपुर 374, द्वारका सेक्टर-8 356 और दिलशाद गार्डन 342 पर है। एनसीआर के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में गाजियाबाद का औसत एक्यूआई 361, ग्रेटर नोएडा 378, हापुड़ 379, बहादुरगढ़ 306 और चरखी दादरी 305 दर्ज किया गया। विशेषज्ञों ने आम नागरिकों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग, बच्चे और संवेदनशील समूह मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। कोशिश करें कि बाहर की गतिविधियां सीमित रहें। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए ऐसे समय में व्यायाम या लंबी चलने-फिरने की गतिविधियों से बचना चाहिए।

सर्दियों में वायु प्रदूषण की यह समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि ठंडी हवा के कारण जहरीले कण ऊपर नहीं उठ पाते और हवा में जमा हो जाते हैं। विशेषज्ञों ने चेताया कि यदि पराली जलाने और वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो दिल्ली-एनसीआर का वायु प्रदूषण अगले सप्ताह और भी बढ़ सकता है। प्रशासन ने भी कहा है कि फिलहाल शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना अनिवार्य है।

इस स्थिति में डॉक्टरों ने भी चेताया है कि लंबे समय तक जहरीली हवा में रहने से श्वसन संबंधी बीमारियों, एलर्जी, अस्थमा और हृदय संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मास्क पहनना, घर के अंदर एयर प्यूरीफायर का उपयोग करना और अनावश्यक बाहर निकलने से बचना अब जरूरी हो गया है। दिल्ली-एनसीआर की हवा की यह स्थिति दर्शाती है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए न केवल प्रशासनिक कदम बल्कि आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।

तूतीकोरिन बंदरगाह पर 1042 करोड़ की ई-सिगरेट की तस्करी का भंडाफोड़, 4,300 छातों में छिपाई गई खेप बरामद

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पर एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें 10.42 करोड़ रुपये मूल्य की 45,984 ई-सिगरेट जब्त की गईं। इस कार्रवाई के दौरान तीन तस्करों को हिरासत में लिया गया है, जो चीन से भेजे गए कंटेनर के माध्यम से ई-सिगरेट की अवैध खेप भारत में उतारने की योजना बना रहे थे।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, डीआरआई को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक कंटेनर में छातों के सामान की आड़ में प्रतिबंधित ई-सिगरेट लादकर भारत लाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर 27 नवंबर को कंटेनर की जांच की गई। शुरुआती निरीक्षण में सामान्य छाते ही नजर आए, लेकिन गहराई से जांच करने पर पता चला कि कुल 4,300 छातों के अंदर विभिन्न फ्लेवर वाली 45,984 ई-सिगरेटें छिपाई गई थीं। इन ई-सिगरेटों की अनुमानित कीमत 10.42 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि छातों की खुद की कीमत लगभग 4.30 लाख रुपये थी।

डीआरआई ने पूरे माल को कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत जब्त कर लिया है और तीनों आरोपितों से गहन पूछताछ की जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि यह एक संगठित तस्करी नेटवर्क था, जो अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति चैनलों का इस्तेमाल करके प्रतिबंधित वस्तुओं को भारत में लाने की योजना बना रहा था।

विभाग ने बताया कि छातों के अंदर ई-सिगरेट छिपाकर तस्करी करना एक नया तरीका था, जिससे पहले भी अन्य सीमाशुल्क अधिकारियों को दिक्कत हुई थी। इस मामले की जांच से पता चला है कि तस्करों ने छातों को विशेष रूप से पैक किया था, ताकि वे किसी भी सतही जांच में पकड़े न जाएं।

डीआरआई का कहना है कि तस्करी के इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने और अन्य संभावित खतरों को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने चेताया कि इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय तस्करी की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है और भविष्य में ऐसे प्रयासों को सफल होने से पहले ही रोकने के लिए जांच प्रक्रिया और अधिक सख्त की जाएगी।

यह कार्रवाई ई-सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित उत्पादों की अवैध तस्करी पर निगरानी और नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का एक हिस्सा है। अधिकारियों ने कहा कि देश में स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरह की अवैध गतिविधियों पर शून्य सहनशीलता नीति अपनाई गई है।

मणिपुर में माल और सेवा कर प्रणाली में बड़ा बदलाव, संसद ने विधेयक को दी मंजूरी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। मणिपुर के माल और सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्यसभा ने मंगलवार को मणिपुर माल एवं सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही जुलाई 2025 में लागू किए गए अध्यादेश की जगह अब यह नया कानून लेगा। लोकसभा ने इसे एक दिन पहले ही पारित कर दिया था। इस विधेयक का उद्देश्य मणिपुर में कर प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यापार-अनुकूल बनाना है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने विशेष रूप से मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और अन्य प्रक्रियात्मक मुद्दों को लेकर शोर-शराबा किया। विपक्ष ने कहा कि ऐसे संशोधन से करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और राज्य में छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा सकता है। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तृत स्पष्टीकरण दिया और कहा

कि यह विधेयक केवल कर संग्रह की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित करने और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक में कोई भी प्रावधान व्यापारियों या आम नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और व्यापार के लिए सहज वातावरण तैयार करना है।

विधेयक के तहत मणिपुर में माल और सेवा कर संग्रहण की प्रक्रिया में नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। इसमें करों के भुगतान और रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी लेन-देन, और कर प्रशासन में ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से राज्य में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी, व्यापार में सुगमता आएगी और राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी।

मणिपुर के व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए यह एक बड़ा अवसर भी माना जा रहा है। नए कानून के लागू होने के बाद करदाता अब अपने लेन-देन को पूरी तरह से कानूनी और डिजिटल ढांचे के तहत दर्ज कर सकेंगे, जिससे किसी भी प्रकार की जटिलता या विलंब की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही, यह राज्य और केंद्र सरकार के बीच कर प्रशासन में समन्वय को भी मजबूत करेगा, जिससे मणिपुर में व्यापार करने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी।

राज्य सरकार का मानना है कि इस संशोधन से मणिपुर की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और छोटे व मध्यम व्यवसायों को कर प्रणाली के दायरे में लाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक के लागू होने के बाद कर संग्रह में बढ़ोतरी और प्रशासनिक दक्षता में सुधार की संभावना है। इस बदलाव से मणिपुर में व्यापार और उद्योग को एक नई दिशा मिलेगी, और राज्य की आर्थिक विकास दर में भी सकारात्मक असर दिखेगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी अनिवार्य, निर्मला सीतारमण की जोरदार अपील

(जीएनएस)। नई दिल्ली। तेजी से विकसित हो रही डिजिटल वित्तीय दुनिया ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने नई और जटिल चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राजधानी में आयोजित 18वीं ग्लोबल फोरम की पूर्ण बैठक में कहा कि इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान केवल देशों के बीच मजबूत सहयोग, पारदर्शिता और समन्वित कार्रवाई से ही संभव है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डिजिटलाइजेशन, नवाचार आधारित वित्तीय उत्पाद और बदलती स्वामित्व संरचनाएँ नीति-निर्माताओं के लिए नए प्रश्न खड़े कर रही हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता।

सीतारमण ने कहा कि डिजिटल डेटा का आदान-प्रदान और वैश्विक वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि साइबर हमले, डेटा

लीक और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी घटनाओं से निपटना कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए देशों के बीच समय पर सूचना साझा करना, भरोसा कायम रखना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

वित्त मंत्री ने यह भी जोर दिया कि तकनीकी नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से डेटा की समझ में तेजी आ सकती है, लेकिन नीति-निर्माण में जिम्मेदारी, विवेक और प्रक्रियागत अनुशासन सर्वोपरि हैं। उनके अनुसार वित्तीय प्रणाली केवल तब मजबूत और विश्वसनीय बन सकती है जब नवाचार के साथ जवाबदेही और नियंत्रण भी साथ-साथ चलें।

ग्लोबल फोरम की यह बैठक 2 से 4 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑफशोर टैक्स चोरी, वित्तीय पारदर्शिता और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सीतारमण ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेज़ी से विस्तार के साथ वैश्विक वित्तीय ढांचे की स्थिरता बनाए रखना अब सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझा जिम्मेदारी का विषय बन गया है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक के दौरान सामने आए अनुभव और सुझाव देशों के बीच साझा किए जाएंगे और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में नवाचार और सुरक्षा दोनों को संतुलित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उनका यह संदेश स्पष्ट था कि डिजिटल दुनिया में वित्तीय स्थिरता, सुरक्षा और जवाबदेही के लिए कोई भी देश अकेले नहीं चल सकता और अब समय आ गया है कि वैश्विक साझेदारी को मजबूत कर, सुरक्षित और पारदर्शी आर्थिक प्रणाली को सुनिश्चित किया जाए।